न्यायालय सत्र न्यायाधीश भदोही।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–141 सन् 2026

<u>CNR No.UPSN01–000436–2026</u>

1. इन्द्रजीत बालिग पुत्र पारसनाथ

2. पारसनाथ बालिग पुत्र श्री नारायण साकिनान गनेशपुर तरना, थाना शिवपुर, जिला वाराणसी।

...........प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ।

बनाम

उ०प्र०राज्य। ....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–519 सन् 2025
धारा–115(2), 352, 351(3), 191(2), 316(2), 324(4), 309(2) बी.एन.एस.
<u>थाना–भदोही, जिला–भदोही।</u>

<u>आदेश</u>

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इन्द्रजीत एवं पारसनाथ की ओर से प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या–519 सन् 2025, अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(3), 191(2), 316(2), 324(4) एवं 309(2) बी.एन.एस, थाना भदोही, जनपद भदोही के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियोगी मो० महताब ने पुलिस अधीक्षक भदोही को संबोधित तहरीर दिनांक 27.11.2025 को प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वह निवासी बाजार सरदार खां, थाना भदोही, जनपद भदोही का मूल निवासी है। वह अपना सी.एस.सी. केन्द्र खोला है, जिससे अपना व अपने परिवार का जिवीकोपार्जन करता है। विपक्षीगण राधेश्याम पुत्र स्व० शिवकरन निवासी जल्लापुर, थाना व जनपद भदोही, राधेश्याम का छोटा साला नन्हे व दामाद इन्द्रजीत पुत्र पारसनाथ निवासी गनेशपुर, तरना, पोस्ट शिवपुर, जिला वाराणसी के हैं। विपक्षी राधेश्याम उसके पास अन्य विपक्षीगण के साथ अपनी जमीन आराजी संख्या 119 मि० रकबा 0.0690 हे० के बाबत् सट्टा कराने के लिये आये और अभियोगी से कहे कि उसकी लड़की की शादी है, उसे पैसे की सख्त जरूरत है, अतः उसकी जमीन का सट्टा /अनुबन्ध करा लीजिए । विपक्षी राधेश्याम के आरजू मिन्नत करने पर उसने अपनी जमीन आराजी संख्या 119 मि० रकबा 0.0690 हे० को मु० 4,50,000/– रुपया बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका यू.टी.आर. नं BARBR52022112500776010 से विपक्षी राधेश्याम के खाते में पैसा ट्रान्सफर कर दिया व रजिस्ट्री आफिस भदोही जाकर तीन वर्ष के लिए अनुबन्ध करा लिया, अनुवन्ध की तिथि समीप आने के पश्चात् वह स्वयं विपक्षी राधेश्याम को कहा कि उक जमीन को उसके पक्ष में चलकर बैनामा कर दे और बकाया पैसा उससे प्राप्त कर ले। कई लोगों से कहलवाया भी और उसके बावत रजिस्ट्रार ऑफिस भदोही में दिनांक 10.02.2025 को जाकर उपनिबन्धन भदोही विभाग में रसीद भी कटवाया, इन्तजार भी किया, परन्तु विपक्षी राधेश्याम

बैनामा करने के लिए उपस्थित नहीं आये। तब उसने राधेश्याम के घर जाकर बैनामे के लिए कहा तो वहां पर राधेश्याम ने कहा कि वह उसे कोई बैनामा नहीं करेगा, इसके पहले भी वह उसके भाई मोहम्मद सादाब से भी पैसे लेकर जमीन का बैनामा नहीं किया है और न ही करेगा, जो करना हो कर ले। वहां पर उपस्थित नन्हें व इन्द्रजीत सभी लोगों ने उसको जान से मारने की धमकी दिया और कहे कि वे हरिजन बिरादरी के हैं, हरिजन ऐक्ट का मुकदमा व अन्य फर्जी मुकदमें करके उन्हें व उसके पूरे परिवार की जिन्दगी बर्बाद कर देगें। तब प्रार्थी थक हारकर पुलिस थाना भदोही, पुलिस अधीक्षक भदोही को दिनांक 15.04.2025 को एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर क्षेत्राधिकारी भदोही द्वारा दोनों पक्षों की बातों को सुनकर समाधान कराने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर क्षेत्राधिकारी भदोही ने विपक्षीगण राधेश्याम को कई बार बुलवाया, लेकिन वे लोग आने में हीला हवाली व लापरवाही करते रहे, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 09.09.2025 को खुद भी विपक्षी एवं उसको बैठाकर समाधान करने का प्रयास किया और कहा गया कि विपक्षी द्वारा उसको दिनांक 23.09.2025 तक विपक्षी द्वारा लिया गया पैसा और समस्त खर्च सहित उसको विपक्षी दे देगा। दिनांक 25.09.2025 तक इन्तजार करने के बावजूद भी विपक्षी द्वारा पैसा न मिलने पर पुनः वह उपस्थित हुआ और विपक्षी के द्वारा पैसे न मिलने की बात बतायी तब पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्राधिकारी भदोही को उक्त घटना के बावत निर्देशित किया गया कि दोनों पक्षों को बुलाकर घटना उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराये और उसका पैसा दिलवाये तो वह क्षेत्राधिकारी भदोही के यहाँ आया तो क्षेत्राधिकारी भदोही ने विपक्षी को आने के लिए कई बार बुलवाया लेकिन विपक्षी राधेश्याम हीला हवाली करता रहा और उपस्थित नहीं आया। काफी प्रयास के बाद दिनांक 21.10.2025 को क्षेत्राधिकारी भदोही के यहाँ उपस्थित आने पर उसका समस्त खर्च मु० 11,53,000/– रुपये दिलाने की बात पर विपक्षी सहमत नहीं हुआ और स्वयं से कहा कि मु० 10,20,000/– रुपया वापस कर देगा। क्षेत्राधिकारी भदोही द्वारा विपक्षी को दिनांक 10.11.2025 तक का समय दिये जाने पर भी वह न तो पैसा दिया और न ही उपस्थित आया । दिनांक 12.11.2025 को क्षेत्राधिकारी भदोही के दबाव पर विपक्षी राधेश्याम उपस्थित आकर दिनांक 13.11.2025 को मु० 1,00,000/– रुपया जमा करने की बात कहा और यह भी कहा कि जो सट्टा अनुबन्ध दिनांक 25.11.2025 को समाप्त हो रहा है उसे कुछ समय के लिए बढ़वा दें और वह दिनांक 20.11.2025 तक समस्त पैसे दे देगा। किन्तु दिनांक 13.11.2025 तक विपक्षी राधेश्याम पैसा लेकर उपस्थित नहीं हुआ, तब अभियोगी, विपक्षी राधेश्याम के घर उसी दिन शाम को गया लेकिन विपक्षी राधेश्याम घर पर नहीं मिला। उसकी पत्नी तारा देवी को सारी बाते बता कर चला आया। पुनः दिनांक 14.11.2025 को सुबह 07:00 बजे अभियोगी एवं उसका भाई शोहराब विपक्षी राधेश्याम के घर गया और अपने सट्टा वाले जमीन की तिथि को बढ़ाने अथवा दिये गये

पैसे की वापसी के लिए राधेश्याम से कहा कि विपक्षी चलकर सट्टे वाली जमीन का डेट बढ़वा दे और पैसे को उसको वापस कर दे। इसी बात की रंजिश को लेकर विपक्षी राधेश्याम व उसके घर पर उपस्थित समधी पारसनाथ व दामाद इन्द्रजीत निवासीगण गनेशपुर तरना, थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी एवं तारा देवी पत्नी राधेश्याम व दो अज्ञात व्यक्ति उसको माँ– बहन की भद्दी–भद्दी गाली गुप्ता देने लगे, गाली देने से मना करने पर विपक्षीगण एक राय होकर उसको हाथ मूक्का एवं लात घूसा से मारने पीटने लगे। दामाद इन्द्रजीत हाथ में लिये कट्टा / तमन्चा लेकर उसके कनपट्टी पर सटा दिये और कहा कि साले को अभी जाने से मार दो, शोर पर उसका भाई शोहराब बीच–बचाव करने के लिए आया तो विपक्षी राधेश्याम ने शोहराव को हाथ मूका से मारते हुए जमीन पर पटक दिया एवं सीने पर बैठकर जान से मारने की नियत से गला दबा दिया, जिससे शोहराब की आंखे चढ़ गयी और पत्नी तारा देवी ने कहा कि ये लोग पैसा लेने के लिए आये है, इनलोगों को जान से मारकर खत्म कर दो और इनके पास जो कुछ भी है, सब छीन लो। इस पर दामाद इन्द्रजीत ने उसके जेब में रखा मु० 15,000/–रुपया जबरजस्ती कट्टा सटाकर छीन लिया एवं उसके व भाई शोहराब के कपड़ों को भी फाड़ दिया जिससे मु० 2,000 /– रुपया का नुकसान हुआ। उनके शोर पर अगल–बगल के बहुत से लोगों ने घटना देखा व बीच–बचाव किया तब जाकर किसी तरह उसकी व उसके भाई की जान बची। पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार, मामले में अभियुक्तगण को नामित करते हुए थाना भदोही पर दिनांक 27.11.2025 को 23.35 बजे अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. मैंने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा वादी मुकदमा के निजी विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं अन्य अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अपने आधार अग्रिम जमानत व उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कथन किया गया कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं, रंजिशन झूठे मुकदमें में फंसाये गये हैं, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण ने वादी मुकदमा अथवा उसके भाई को न मारा–पीटा, न गाली गुप्ता दिया, न आवेदक इन्द्रजीत कट्टा लेकर वादी की कनपट्टी पर सटाते हुए जानमाल की धमकी देकर मु० 15000/– रूपये छीना और न ही वादी एवं उसके भाई का कपड़ा फाड़कर मु० 2000/– रूपये का नुकसान किया। संपूर्ण अभियोजन कथानक मिथ्या एवं बनावटी है। प्रार्थीगण दिनांक 14.11.2025 को सुबह न तो अपने रिश्तेदार राधेश्याम के घर गये और न ही कोई घटना कारित किया, मात्र राधेश्याम का रिश्तेदार होने के नाते उन्हें उक्त घटना में नामित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलंब से दर्ज करायी गयी है। वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 26.03.2025 को मुकदमा अपराध संख्या 153/2025 धारा 406 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता पूर्व में भी प्रार्थीगण व उसके रिश्तेदार राधेश्याम के विरूद्ध दर्ज

करायी गयी थी। उक्त बातें वादी द्वारा छिपायी गयी हैं। जब दिनांक 02.02.2026 को प्रार्थीगण के घर पर खड़ी मोटरसाइकिल अपाचे पुलिस उठाकर ले जा रही थी, तब उन्हें घटना की जानकारी हुई है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं निजी विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अन्य सहअभियुक्तगण के साथ एक राय होकर द्वारा वादी मुकदमा से आराजी नंबर 109 मि० रकबा 0.069 हे० के बाबत् सट्टा/अनुबंध कराकर 4,50,000/–रूपये बैंक ऑफ बड़ौदा यू.टी.आर. नंबर BARBR52022112500776010 से विपक्षी राधेश्याम के खाते में ट्रान्सफर करा लिया, किन्तु न तो उक्त जमीन का रजिस्ट्री किया और न ही पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में पंचायतन तयशुदा धनराशि 10, 20,000/–रूपये वापस किया। अन्ततः तयशुदा धनराशि वादी द्वारा अपने भाई के साथ मांगने के लिए जाने पर उनसे गाली गलौज करते हुए मारपीट करके वादी की जेब से 15000/–रूपये छीन लिया गया तथा उनके कपड़े फाड़कर नुकसान कारित करते हुए जानमाल की धमकी दी गयी। आगे यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पेटिशन मामले को क्वैश करने के लिये दाखिल की गयी थी, जो निस्तारित की जा चुकी है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का आग्रह किया गया।

6. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण एवं अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 27.11.2025 के पूर्व समय–समय पर एक राय होकर द्वारा वादी मुकदमा से आराजी नंबर 109 मि० रकबा 0.069 हे० के बाबत् सट्टा/अनुबंध कराकर 4,50,000/–रूपये बैंक ऑफ बड़ौदा यू.टी.आर. नंबर BARBR52022112500776010 से विपक्षी राधेश्याम के खाते में ट्रान्सफर करा लेने, तथा रजिस्ट्री न करने पर पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में पंचायतन तयशुदा धनराशि 10, 20,000/–रूपये को वापस लेने के लिये वादी द्वारा अपने भाई के साथ मांगने के लिए जाने पर उनसे गाली गलौज करते हुए मारपीट करके वादी की जेब से 15000/–रूपये छीन लेने तथा उनके कपड़े फाड़कर नुकसान करते हुए जानमाल की धमकी देने का आरोप है।

7. पत्रावली एवं प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोगी मो०महताब एवं विपक्षी राधेश्याम के मध्य आराजी नम्बर आराजी नंबर 109 मि० रकबा 0.069 हे० के बाबत् सट्टा/अनुबंध कराकर 4,50,000/–रूपये बैंक ऑफ बड़ौदा यू.टी.आर. नंबर BARBR52022112500776010 से विपक्षी राधेश्याम के खाते में ट्रान्सफर कराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियोगी के भाई सोहराब को विपक्षी राधेश्याम द्वारा हाथ–मुक्का से मारते हुए जमीन पर पटक देने का कथन किया गया है। अभियुक्त इन्द्रजीत को राधेश्याम का दामाद

होना एवं कट्टा सटाना कहा गया है, किन्तु इस संबंध में कोई आघात आख्या पत्रावलित होना दर्शित नहीं है। कथित जमीन का सट्टा जिसके संबंध में बैनामा न करना कहा गया है, वह राधेश्याम की जमीन होना व राधेश्याम के खाते में पैसा ट्रांसफर करना कहा गया है। राधेश्याम द्वारा ही मारपीट करना कहा गया है। प्रस्तुत मामला सट्टा कराये गये जमीन का बैनामा न करने को लेकर विवाद से संबंधित है। अभियुक्तगण का इस प्रकार का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं है। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है। विवेचक द्वारा इस स्तर तक अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने की आवश्यकता समझी गयी हो, ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

8. अतः मामले के संपूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं अभियुक्तगण/आवेदकगण का प्रस्तुत मामले में कथित योगदान को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम जमानत का आधार उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण इन्द्रजीत एवं पारसनाथ प्रत्येक द्वारा मु0 50,000/– रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू संबंधित विवेचनाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उन्हें आरोपपत्र दाखिल होने तक अग्रिम–जमानत पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाये कि–

1. यहकि आवेदकगण किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने हेतु स्वयं उपलब्ध होंगे।
2. यहकि आवेदकगण, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,
3. यह कि आवेदकगण, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।
4. यह कि आवेदकगण विवेचना में सहयोग करेंगे।

दिनांक–12.03.2026

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही।
JO Code NO.–UP 5725

आदेश की प्रति विवेचक को उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु प्रेषित की जाए।

दिनांक–12.03.2026

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही।
JO Code NO.–UP 5725

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.03.12 17:51:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court